

के समक्ष

कैप्टन. लोकिंदर सिंह चौधरी, अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य,--प्रतिवादी

1986 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 3164

31 अगस्त, 1989

पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965—नियम 4—पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II—नियम 3.9, 3.10 और 3.11—अपीलकर्ता 9 जनवरी, 1963 को सेना सेवा में शामिल हुआ और 13 मई, 1967 को मुक्त किया गया—सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष थी—अपीलकर्ता 13 मार्च, 1966 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया—पी.सी.एस. नियमों के तहत न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी—सैन्य सेवा का लाभ—क्या पी.सी.एस. नियमों या 1965 के नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम आयु से संबंधित होगा।

यह माना गया कि वादी-अपीलकर्ता ने 13 मार्च, 1966 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया था। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 फरवरी, 1968 को पच्चीस वर्ष निर्धारित की गई थी। यदि वह उस तारीख को पच्चीस वर्ष से कम आयु का था तो वह नियुक्ति के लिए अयोग्य था। वह यह नहीं कह सकता कि सेवा या पद में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु को पंजाब सिविल सेवा नियम खंड II के नियम 3.9 से संबंधित होना चाहिए और उस विज्ञापन के लिए नहीं जिसके अनुसार उसने आवेदन किया और चयनित हुआ। वह अनुमोदन और प्रतिवादन नहीं कर सकता। पंजाब सिविल सेवा नियमों में निर्धारित न्यूनतम आयु राज्य सरकार को किसी विशेष पद के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने से नहीं रोकता है।

(पैरा 7)

यह माना गया कि नियम 4 की धारा (i) में प्रावधान है कि सैन्य सेवा पर खर्च किया गया समय किसी भी सेवा या पद की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त करने पर ही वृद्धि, वरिष्ठता और पेंशन के लिए गिना जाएगा। नियम 4 की धारा (i), (ii) और (iii) को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। ये आपस में अनन्य नहीं हैं। इस मामले में, वादी ने 13 मार्च, 1966 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया था और इस नियम के अनुसार, वह उस तारीख से सैन्य सेवा के लाभ का हकदार था।

(पैरा 7)

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हिसार, के न्यायालय के डिक्री से नियमित दूसरी अपील, दिनांक 24 सितंबर, 1986 को पुष्टि करते हुए लागत के साथ वह सब न्यायाधीश II वर्ग, हिसार, की दिनांक 22 मई, 1986 को वादी के मुकदमे को खारिज करते हुए लेकिन पार्टियों को अपने-अपने खर्च उठाने के लिए छोड़ते हुए।

दावा: इस प्रभाव की घोषणा के लिए मुकदमा कि वादी 9 जनवरी, 1963 से 12 मार्च, 1966 तक अपनी सेना सेवा के लाभों का हकदार है जिसे सिविल सेवा की ओर गिना जाना चाहिए और वृद्धि, वरिष्ठता, पेंशन और वेतन और भत्तों के प्रत्येक प्रकार के संबंध में सभी लाभों का हकदार है, जो उस कैडर के लिए उपलब्ध हैं, जिससे वादी संबंधित है और उसे ऊपर दावा किए गए राहत के अतिरिक्त या विकल्प में किसी अन्य राहत का हकदार है, प्रत्येक प्रकार के साक्ष्य के आधार पर।

अपील में दावा: निचली दोनों अदालतों के आदेश को पलटने के लिए।

वी. के. बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल लखनपाल और राजीव विज, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

बी. एस. मलिक, अतिरिक्त ए.जी. हरियाणा, प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय

जी. आर. मजीठिया, जे.

- 1) वादी ने पहली अपीलीय अदालत के निर्णय और डिक्री के खिलाफ नियमित दूसरी अपील में आया है जिसने अपील पर निचली अदालत के उस निर्णय की पुष्टि की जिसमें उसके मुकदमे को खारिज किया गया था कि वह 9 जनवरी, 1963 से 12 मार्च, 1966 तक सिविल सेवा की ओर अपनी सेना सेवा के लाभों का हकदार था।
साबित हुए तथ्य इस प्रकार हैं:
- 2) वादी ने 9 जनवरी, 1963 को सेना सेवा में शामिल हुआ और 13 मई, 1967 को उक्त सेवा से मुक्त किया गया। उसे 18 अगस्त, 1967 को जिला सैनिक, नाविक और वायु सेना बोर्ड (जिसे आगे 'बोर्ड' कहा जाएगा) के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उसे पहले छह महीने की अवधि के लिए पूरी तरह से अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। उसने बोर्ड के सचिव के रूप में अपनी नियमित नियुक्ति के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया। विज्ञापन में आवेदकों द्वारा पूरा किए जाने वाले आवश्यक शर्तों में से एक यह था कि उसकी आयु 6 फरवरी, 1988 को 25 वर्ष से कम और 52 वर्ष से अधिक न हो (अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए 57 वर्ष)। वादी ने नियमित आधार पर पद के लिए आवेदन किया। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने उसे चुना और राज्य सरकार को नियुक्ति के लिए उसका नाम सिफारिश की। राज्य सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की सिफारिश प्राप्त करने पर उसे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया, दिनांक 3 जून, 1968 के आदेश के अनुसार।
- 3) वादी को उसकी सिविल सेवा के लिए सैन्य सेवा का लाभ दिया गया था,—अनुमोदन संख्या 1447-ID-73/8769, दिनांक 14 मार्च, 1973 के अनुसार। उसे दिए गए लाभ से वह संतुष्ट नहीं था और उसने सिविल सेवा के लिए सैन्य सेवा का लाभ इस प्रकार मांगा था :-

- | | | |
|----|--|---|
| i. | 9 जनवरी, 1963 से 13 मई, 1967 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि, जो कि सैन्य सेवा से मुक्ति की तारीख और सिविल सेवा में नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि है। | वादी को नियमों के तहत अनुमन्य वृद्धि, वरिष्ठता और पेंशन के लिए पूर्ण सेवा का लाभ। पेंशन के उद्देश्यों के लिए इस अवधि की गिनती करके वादी को अनुमन्य लाभ। |
|----|--|---|

प्राधिकरणों द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने के कारण मुकदमे की आवश्यकता हो गई।

- 4) पक्षों की याचिका से निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न हुए: —
- i. क्या वादी 9 जनवरी, 1963 से 12 मार्च, 1966 तक सेना में की गई सेवा के लाभ का हकदार है? ओपीपी
 - ii. क्या वर्तमान मुकदमा वर्तमान रूप में अनुरक्षणीय नहीं है? ओपीडी
 - iii. क्या वादी के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है? ओपीडी
 - iv. क्या मुकदमा समय बाधित है? ओपीडी
 - v. क्या मुकदमा आवश्यक पार्टियों के अजोइन के लिए खराब है? ओपीडी
 - vi. क्या सिविल कोर्ट के पास वर्तमान मुकदमा सुनने का कोई अधिकार नहीं है? ओपीडी
 - vii. राहत।
- 5) निचली अदालत के न्यायाधीश ने मुद्दा संख्या 1 वादी के खिलाफ पाया और उन्होंने मुद्दा संख्या 2 का उत्तर उसके खिलाफ दिया क्योंकि मुद्दा संख्या 1 उसके खिलाफ पाया गया था। मुद्दा संख्या 3 से 6 प्रतिवादियों के खिलाफ थे।
- 6) वादी पहली अपील में असफल रहा।
- 7) वादी के दावे का उत्तर पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 4 की व्याख्या पर निर्भर करता है। नियमों के नियम 4 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है: —
- "4. वृद्धि, वरिष्ठता और पेंशन: सैन्य सेवा की अवधि वृद्धि, वरिष्ठता और पेंशन के लिए इस प्रकार गिनी जाएगी: —
- (i) वृद्धि।—किसी व्यक्ति द्वारा सैन्य सेवा में बिताया गया समय, किसी भी सेवा या पद के लिए नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त करने के बाद, जिसमें वह नियुक्त किया गया है, वृद्धि के लिए गिना जाएगा। जहां कोई ऐसी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, न्यूनतम आयु पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 3.9, 3.10 और 3.11 में

निर्धारित होगी। हालांकि, यह रियायत केवल पहली नियुक्ति पर ही देय होगी।

- (ii) वरिष्ठता।—धारा (i) में उल्लिखित सैन्य सेवा की अवधि को किसी व्यक्ति की वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा जिसने सैन्य सेवा की हो।
- (iii) पेंशन।—धारा (i) में उल्लिखित सैन्य सेवा की अवधि केवल स्थायी सेवाओं या सरकार के अधीन पदों पर नियुक्तियों के मामले में पेंशन के लिए गिनी जाएगी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन: —
- (1) संबंधित व्यक्ति ने सैन्य नियमों के तहत प्रश्न में सैन्य सेवा के लिए कोई पेंशन अर्जित नहीं की हो;
 - (2) सैन्य सेवा के लिए रक्षा प्राधिकरणों द्वारा दिए गए किसी भी बोनस या ग्रैच्युटी को राज्य सरकार को वापस करना होगा।
 - (3) यदि कोई हो, तो सैन्य सेवा से मुक्ति की तारीख और सरकार के तहत किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि पेंशन के लिए गिनी जाएगी, बशर्ते ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक न हो। कोई भी अवधि जो एक वर्ष से अधिक हो लेकिन तीन वर्ष से अधिक न हो, असाधारण मामलों में सरकार के आदेशों के तहत पेंशन के लिए गिनी जा सकती है।

वादी 13 मार्च, 1966 को 25 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका था और उसे 13 मार्च, 1966 से 13 मई, 1967 तक की अवधि के लिए नियम 4 के अनुसार सैन्य सेवा के लाभ दिए गए थे। वादी के वकील का तर्क है कि किसी भी सेवा या पद के लिए नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 3.9, 3.10 और 3.11 में 18 वर्ष हैं और सैन्य सेवा के लाभ प्राप्त करने की योग्यता अवधि को पंजाब सिविल सेवा नियम खंड II में उल्लिखित किसी भी सेवा और पद के लिए नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से संबंधित होनी चाहिए और प्राधिकरणों ने इसे 25 वर्ष की आयु प्राप्त होने की तारीख से निर्धारित करने में गलती की। उनका आगे कहना है कि नियम 4 की धारा (i) और धारा (ii) और (iii) आपस में अनन्य हैं और नियम 4 की धारा (iii) की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि वादी सैन्य सेवा में प्रवेश करने की तारीख से सैन्य सेवा के लाभ का हकदार है और 25 वर्ष की आयु प्राप्त होने की तारीख के संदर्भ में नहीं। मुझे डर है कि प्रस्तुति पूरी तरह से अस्थिर है, निम्नलिखित कारणों से, (i) बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष थी। वादी को 3 जून, 1968 को नियमित आधार पर नियुक्त किया गया। उसने 13 मार्च, 1966 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त

की। नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 6 फरवरी, 1968 को पच्चीस वर्ष थी। यदि वह उस तारीख को पच्चीस वर्ष से कम आयु का था, तो वह नियुक्ति के लिए अयोग्य था। वह यह नहीं कह सकता कि सेवा या पद में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु को पंजाब सिविल सेवा नियम खंड II के नियम 3.9 से संबंधित होना चाहिए और उस विज्ञापन के लिए नहीं जिसके अनुसार उसने आवेदन किया और चयनित हुआ। वह अनुमोदन और प्रतिवादन नहीं कर सकता। पंजाब सिविल सेवा नियमों में निर्धारित न्यूनतम आयु राज्य सरकार को किसी विशेष पद के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने से नहीं रोकता है। सचिव के पद के लिए भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कानूनी और मान्य है, (ii) नियम 4 की उप नियम (1) यह प्रदान करता है कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति को उसकी नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त करने के बाद ही सैन्य सेवा के लाभ का हकदार होगा। जहां कोई ऐसी आयु निर्धारित नहीं है, न्यूनतम आयु पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 3.9, 3.10 और 3.11 में निर्धारित होगी। नियम 4 की उप-नियम (iii) प्रदान करता है कि पेंशन के निर्धारण के लिए, धारा (i) में उल्लिखित सैन्य सेवा में बिताए गए समय को केवल स्थायी सेवाओं या सरकार के अधीन पदों की नियुक्तियों के मामले में पेंशन के लिए गिना जाएगा, जिसमें वहां उल्लिखित शर्तें शामिल हैं। एकमात्र संभावित व्याख्या यह है कि नियम 4 की धारा (i) में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए ताकि सैन्य सेवा को ध्यान में रखते हुए पेंशनरी लाभ का निर्धारण किया जा सके। जैसा कि ऊपर कहा गया है, नियम 4 की धारा (i) प्रदान करता है कि सैन्य सेवा में बिताए गए समय को केवल उस समय से वृद्धि, वरिष्ठता और पेंशन के लिए गिना जाएगा जब नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त की जाएगी, (iii) नियम 4 की धारा (i), (ii) और (iii) को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। ये आपस में अनन्य नहीं हैं। इस मामले में, वादी ने 13 मार्च, 1966 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त की और इस नियम के अनुसार, उसे उस तारीख से ही सैन्य सेवा के लाभ का हकदार था। इसी प्रकार, पेंशन के लाभ का निर्धारण करने के उद्देश्य से, उस तारीख का संदर्भ लेना होगा जिस पर उसने उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त की। इस प्रकार, पेंशन के लाभ और वृद्धियों का निर्धारण करते समय, लाभों को उस तारीख से गिना जाना चाहिए जब नियुक्त व्यक्ति ने पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त की थी। नियम 4 की धारा (vi) को धारा (i) के साथ संयोजित रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ये आपस में अनन्य नहीं हैं बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। जब किसी अधिनियम की भाषा अस्पष्ट हो, पेंशन के लाभ का निर्धारण करने के लिए, बेनोआरी लाल शर्मा और अन्य के संदर्भ में, हमें इसे लागू करना होगा चाहे परिणाम कुछ भी हो। उस मामले में, विधान के शब्द विधायक की मंशा को व्यक्त करते हैं।

- 8) इसलिए, ऊपर बताए गए कारणों से, मुझे अपीलवी न्यायाधीश के निर्णय में कोई खामी नहीं मिलती है। सैन्य सेवा के लाभ नियमों की सही व्याख्या के आधार पर याचिकाकर्ता को दिए गए थे। अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। पार्टियों को अपने-अपने खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा